न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१८- निगरानी.

श्रीमती संतोष पत्नी दिलवर सिंह,
निवासिन ग्राम सिलपुरी, तहसील कराहल,
जिला श्योपुर-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थिया

बिरुध्द

१- मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर श्योपुर, म०प्र०
२- रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम सरारीखुर्द, तहसील कराहल जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय, श्योपुर दिनांक २६-०८-२०१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० १०।१२-१३- स्वमेव निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, कलेक्टर महोदय की विवादित आज्ञा जहां तक उसका सम्बन्ध प्रार्थिया के स्वत्व स्वामित्व एंवम् आधिपत्य की विवादित भूमि से संबंधित है कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंम कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, प्रार्थिया को कलेक्टर महोदय के न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला है ।

४- यह कि, प्रार्थिया विवादित भूमि के समीप ही अपना मकान

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निग./श्योपुर/भू.रा./2018/1932 जिला- श्योपुर

श्रीमती संतोष विरूद्ध म.प्र. शासन अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषव आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	